सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट दिनांक 27.11.2024

चोरी की घटना कारित करने वाले 01 बाल अपचारी सहित कुल 02 अभियुक्तो को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से चोरी किये हुये नकदी, आभूषण व घरेलू सामान किया गया बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 25.11.2024 को वादी उपदेश कुमार पुत्र स्व0 श्री बालकराम निवासी वैशालीपुरम थाना सिविल लाइन जनपद इटावा द्वारा थाना सिविल लाइन पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 24.11.2024 को अज्ञात लोगों ने उसके घर का ताला तोड़कर घर से नकदी, आभूषण तथा घरेलू सामान चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं लूट/चोरी की घटना का सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.11.2024 को थाना सिविल लाइन पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 222/2024 से संबंधित 01 बाल अपचारी सहित कुल 02 अभियुक्तों को थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा मैनपुरी रेलवे क्रासिंग के आगे अण्डर ब्रिज पुलिया के पास से समय 04.32 बजे गिरफ्तार किया गया।

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये अभियुक्तों से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.11.2024 की रात में अपने साथी के साथ मिलकर वैशालीपुरम में एकांत में बने मकान का ताला तोड़कर नकदी एवं आभूषण तथा अन्य घरेलू सामान चोरी कर लिया था।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना सिविल लाइन पर मु0अ0सं0 222/2024 धारा 331(4)/305(A) बीएनएस में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सूरज पुत्र भानू प्रताप सिंह निवासी चौधरी पेट्रोल के पास थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 20 वर्ष।
2. 01 बाल अपचारी

बरामदगीः-

1. 01 चेन (सोने की)
2. 05 जोड़ी बिछिया (चांदी की)
3. 02 छल्ले (चांदी के)
4. 01 एलईडी टीवी शाओमी कम्पनी
5. 01 घड़ी फास्ट्रैक कम्पनी
6. 2,500/- रुपये नकद

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 222/2024 धारा 103(1)/238(A)/3(2)(V) थाना बसरेहर जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरी0 श्री यशवंत सिंह प्रभारी थाना सिविल लाइन, उ0नि0 श्री सिपाही लाल, उ0नि श्री रविन्द्र सिंह, का0 रामनरेश, का0 कमरुद्दीन, का0 जयचन्द्र, का0 अजय कुमार, का0 अमित खोखर ।